

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ।
पत्रांक 2416/14-1 बदायूँ दिनांक 19 मई /2017

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी बरेली वृत्त बरेली।

विषय:- बदायूँ में पीलीभीत-बरेली-भरतपुर मार्ग (SH-33) के चैनेज किमी 102.115 से 113.00 (चैनेज किमी 102.115 से 114.20 तक) 04 लेन विद पेड शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु 13.29 है० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2604 वृक्षों के पातन की अनुमति।
सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-मैमो/बदायूँ/23699/2017, दिनांक 18.05.2017

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का निम्न प्रकार निराकरण कर सूचना संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन में अनुरक्षण एवं अनुमानित वृद्धि के साथ सांराश को संशोधित कर समस्त आवश्यक अभिलेख व व्यय होने वाली धनराशि KML File आदि को ऑनलाइन पार्ट-2 के बिन्दु 13 पर अपलोड कर दिया गया है।
2. प्रस्तावित वन भूमि की KML File संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ।